

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: 22 जून 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में "कान्हा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत नगर पंचायत-मगहर जनपद-संतकबीरनगर को पूर्व में पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाउस बनाये जाने हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-157/2016/3312/नौ-8-16-01के०पी०ए०(बजट)/2016 दिनांक 29.11.2016 द्वारा नगर पंचायत-मगहर जनपद-संतकबीरनगर को पूर्व में कांजी हाउस/पशु शेल्टर होम्स बनाये जाने हेतु "कान्हा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत नगर पंचायत-मगहर जनपद-संतकबीरनगर द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के आधार पर सम्बन्धित कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 100.00 लाख पूर्व में स्वीकृत की गयी थी जिसके सापेक्ष सम्बन्धित निकाय द्वारा कान्हा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः कान्हा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्गत शासनादेश दिनांक 29.11.2016 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नगर पंचायत मगहर जनपद-संतकबीरनगर को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि चालू कार्यों हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

:-

क्रमांक	निकाय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति धनराशि	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जाने वाली अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पंचायत-मगहर जनपद-संतकबीरनगर	157/2016/3312/नौ-8-2016-01के०पी०ए०(बजट)/2016 दिनांक 29.11.2016	कांजी हाउस/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कार्य	253.32	100.00	153.32

(रूपये एक करोड़ तिरपन लाख बत्तीस हजार मात्र)

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशोर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 800-अन्य व्यय-07- कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना -35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. उपर्युक्त नागर निकाय द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों का सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों के माध्यम से सत्यापन करारकर एक माह के अन्दर सत्यापन आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी एवं प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यों का सत्यापन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से कराये जाने के उपरान्त ही निकायों द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4. निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को आहरित कर योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये नोडल खाते के माध्यम से निकायों के द्वारा कान्हा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर धनराशि अन्तरित की जायेगी।
5. यह भी सूच्य है कि उपर्युक्त निकायों को अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2019 तक के लिए निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, नगरीय निकाय/ शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. सम्बन्धित नागर निकाय को कान्हा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित सतम्ब 03 में उल्लिखित शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
7. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भारतीय
2/11/18
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव ।

संख्या- /9-8-2018 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत-मगहर, जनपद-संतकबीरनगर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से.

(बृजेन्द्र सिंह)
अनुसचिव